



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082023-247765
CG-DL-E-01082023-247765

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 452]
No. 452]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 1, 2023/श्रावण 10, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 2023/SHRAVANA 10, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2023

आय-कर

सा.का.नि. 579(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 35घ की उपधारा (2) के खंड (क) के परंतुक और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2024 से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 6कखख के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

“6कखख. धारा 35घ के अधीन उपगत प्रारंभिक व्ययों के संबंध में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी का प्ररूप—

(1) निर्धारिती द्वारा धारा 35घ की उपधारा (2) के खंड (क) के परंतुक के अधीन प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित व्यय का विशिष्टियां अंतर्विष्ट करने वाला विवरण, प्रत्येक पूर्ववर्ष के लिए प्ररूप सं. 3कच में होगा।

(2) प्ररूप सं. 3कच, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख के एक मास पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) प्ररूप सं. 3कच, यथास्थिति, आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत किए गए व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) प्ररूप सं. 3कच, निम्नलिखित इलैक्ट्रॉनिक ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा,--

(i) यदि आय की विवरण, डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है, जो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन ;

(ii) खंड (i) के अंतर्गत नहीं आने वाले मामले में इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कूट के माध्यम से।

(5) यथास्थिति, आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), प्ररूप सं. 3कच प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा तथा इस प्रकार प्रस्तुत प्ररूप के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनःप्राप्ति नीतियों को विरचित और सृजित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(6) यथास्थिति, आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति प्ररूप सं. 3कच को निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित करेगा।”।

3. मूल नियम के परिशिष्ट 2 में, प्ररूप सं. 3कड के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :--

“प्ररूप सं. 3कड

[नियम 6कख देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35घ(4)/धारा 35ड(6) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट

*मैंने/हमने मैसर्ज के तारीख को यथा विद्यमान तुलन-पत्र (पत्रों) और *उस तारीख/(उन तारीखों) को समाप्त हुए वर्ष (वर्षों) के लाभ और हानि लेखा (लेखाओं) की जांच की है, जो में स्थित मुख्यालय* और में स्थित शाखाओं में रखी गई लेखा बहियों के अनुरूप है।

*मैंने/हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे। *मेरी/हमारी राय में, जहां तक लेखा-बहियों की *मेरी/हमारी जांच से प्रतीत होता है, नीचे दी गई टिप्पणियों के अधीन रहते, ऊपर नामित निर्धारिती के *मेरे/हमारे द्वारा दौरा किए गए मुख्यालय और शाखाओं द्वारा उचित लेखा-बहियां रखी गई हैं और *मेरे/हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित लेखा-बहियां प्राप्त की गई है—

*मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा *मुझे/हमे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखाओं में निम्नलिखित के संबंध में सत्य और ठीक जानकारी दी गई है—

(i) तुलन-पत्र (पत्रों) की दशा में तारीख को ऊपर नामित निर्धारिती के कार्यकलाप की स्थिति को, और

(ii) लाभ और हानि लेखा (लेखाओं) की दशा में तारीख को समाप्त होने वाले उसके लेखा वर्ष (वर्षों) के लिए ऊपर नामित निर्धारिती के लाभ या हानि को।

धारा *35घ/धारा 35ङ के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित विशिष्टियों का विवरण संलग्न है और *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा *मुझे/हमे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कार्यकलाप की स्थिति को और विश्वास के अनुसार ये सत्य और सही है।

स्थान :	हस्ताक्षरित :
तारीख :	लेखाकार
	नाम :
	पता :
	सदस्यता संख्या :

टिप्पणियां :

1. * जो लागू न हो उसे काट दें।
2. † यह रिपोर्ट आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार द्वारा दी जानी है।
3. जहां इस रिपोर्ट में कथित किसी विषय का उत्तर नहीं में अथवा सशर्त दिया गया है, वहां इस रिपोर्ट में उसके कारणों का उल्लेख होगा।

प्ररूप सं. 3कड का उपाबंध

अनुभाग क

धारा 35घ के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित विशिष्टियों का विवरण

1. कारबार आरंभ करने की तारीख
2. जहां कटौती का दावा, किसी औद्योगिक उपक्रम के विस्तार या नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के संबंध में उपगत व्यय के प्रति निर्देश में किया जाता है, वहां विस्तार पूरा होने की या नई औद्योगिक इकाई द्वारा उत्पादन या प्रचालन आरंभ करने की तारीख बताएं।
- *3. व्यय की अर्हक रकम :
 - † निम्नलिखित के संबंध में व्यय
 - (i) व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना रुपए
 - (ii) परियोजना रिपोर्ट तैयार करना रुपए
 - (iii) बाजार का सर्वेक्षण या कोई अन्य सर्वेक्षण करना, जो निर्धारिती के कारबार के लिए आवश्यक हो रुपए
 - (iv) निर्धारिती के कारबार से संबद्ध इंजीनियरिंग सेवाएं रुपए
 - (ख) निर्धारिती के कारबार को स्थापित करने या उसका प्रचालन करने से संबंधित किसी प्रयोजन के लिए निर्धारिती और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किए जाने वाले किसी करार के प्रारूपण के लिए विधिक प्रभार रुपए

योग

..... रुपए

क्या प्ररूप 3कच, नियम 6कखखख के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत हां/नहीं किया गया है।

- ‡4. परियोजना की लागत, अर्थात्, निम्नलिखित की वास्तविक लागत :
- | | |
|---|------------|
| (i) भूमि और भवन (विकास पर किए गए व्यय सहित) | रुपए |
| (ii) पट्टा धृतियां | रुपए |
| (iii) संयंत्र और मशीनरी | रुपए |
| (iv) फर्नीचर और फिटिंग | रुपए |
| (v) रेल साइडिंग | रुपए |
| योग | रुपए |
5. धारा 35घ के अधीन दावा की गई कटौती रुपए

स्थान :

हस्ताक्षरित :

तारीख :

लेखाकार

नाम :

पता :

सदस्यता संख्या :

अनुभाग ख

धारा 35ड के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित विशिष्टियों का विवरण

- खनिज (खनिजों) का या सहबद्ध खनिज के समूह (समूहों) का नाम, जिसके (जिनके) संबंध में पूर्वोक्त या विकास से संबंधित प्रचालन किए गए
.....
.....
- वाणिज्यिक उत्पादन का वर्ष
.....
- व्यय की अर्हक रकम :

वर्ष, जिसमें व्यय उपगत किया गया	व्यय की रकम (ब्यौरे दें) रुपए
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
.....	

स्थान :

हस्ताक्षरित :

तारीख :

लेखाकार

नाम :

पता :

सदस्यता संख्या :

*जहां अर्हक व्यय एक वर्ष से अधिक वर्षों के दौरान उपगत किया गया है, वहां व्यय का वर्षवार व्यौरा दिया जाना चाहिए।

† इस शीर्ष के अधीन 1.4.2023 से पूर्व व्यय का दावा केवल तभी किया जाना चाहिए, जब व्यवहार्यता रिपोर्ट या परियोजना रिपोर्ट तैयार करने या बाजार सर्वेक्षण या कोई अन्य सर्वेक्षण करने या इंजीनियरी सेवाओं से जुड़ा कार्य स्वयं निर्धारिती या बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किसी समुत्थान द्वारा किया गया हो। इस शीर्ष के अधीन 1.4.2023 के पश्चात् व्यय के लिए प्ररूप 3कच भी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

‡ ऐसे मामले में, जहां दावा, कारबार के आरंभ से पूर्व उपगत प्रारंभिक व्ययों से संबंधित है, वहां ऐसी विनिर्दिष्ट आस्तियों की वास्तविक लागत दी जानी चाहिए। जिन्हें निर्धारिती की बहियों में उस पूर्ववर्ष के, जिसमें कारबार आरंभ किया गया था, अंतिम दिन को यथाविद्यमान रूप में दर्शित किया गया है, ऐसे किसी मामले में, जहां व्यय औद्योगिक उपक्रम के विस्तार या किसी नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के संबंध में उपगत किए गए हों, वहां ऐसी विनिर्दिष्ट आस्तियों (जहां तक ऐसी आस्तियों को औद्योगिक उपक्रम के विस्तार या किसी नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के संबंध में अर्जित या विकसित किया गया था) की वास्तविक लागत दी जानी चाहिए, जिन्हें निर्धारिती की बहियों में उस पूर्ववर्ष के, अंतिम दिन को यथाविद्यमान रूप में दर्शित किया गया है, जिसमें औद्योगिक उपक्रम के विस्तार पूरा किया गया था या नई औद्योगिक इकाई ने उत्पादन या प्रचालन आरंभ किया था।

प्ररूप सं. 3कच

[नियम 6कखख देखिए]

(ई-प्ररूप)

निर्धारिती द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35घ की उपधारा (2) के खंड (क) के परंतुक के अधीन उपगत प्रारंभिक व्ययों के संबंधित प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण।

निर्धारिती का नाम			नाम							
			प्रास्थिति							
			आवासीय प्रास्थिति							
			स्थायी खाता संख्यांक							
			आधार संख्या (यदि लागू हो)							
			कर कटौती और संग्रहण खाता संख्यांक (यदि लागू हो)							
			पता							
सुसंगत पूर्व वर्ष, जिसके लिए विवरणी फाइल की जा रही है										
*के संबंध में व्यय			उपगत व्यय के व्यौरे							
क्रियाकलाप की प्रकृति (टिप्पण 1 देखे)	क्या निर्धारिती द्वारा स्वयं किया गया (हां/नहीं)	क्रियाकलाप करने वाले व्यक्ति(यों) का नाम और पता (टिप्पण 2 देखे)	व्यक्ति(यों) का स्थायी खाता संख्यांक	क्या (स्वयं निर्धारिती से भिन्न) व्यक्ति को क्रियाकलाप करने का पूर्व अनुभव है (हां/नहीं)	व्यय की रकम (रु. में)	यदि स्रोत पर कर कटौती किया गया है तो निम्नलिखित बताएं				
						नकद संदत्त	नकद से	कुल	कटौती किए	धारा, जिसके

							अन्य था संदत्त		गए कर की रकम (रु. में)	अधीन स्रोत पर कर कटौती किया गया है
क.	व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना									
ख.	परियोजना रिपोर्ट तैयार करना									
ग.	बाजार सर्वेक्षण या कोई अन्य सर्वेक्षण करना, जो निर्धारिती के कारबार के लिए आवश्यक हो									
घ.	निर्धारिती के कारबार से संबद्ध इंजीनियरिंग सेवाएं									

* ड्रॉप डाउन उपलब्ध कराए जाएं।

सत्यापन

मैं, घोषणा करता हूं कि ऊपर वर्णित जानकारी, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। आज..... तारीख को सत्यापित।

स्थान :

तारीख :

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर :

टिप्पणियां :

1. एक से अधिक व्यक्ति द्वारा क्रियाकलाप करने के मामले में, पृथक् ब्यौरे फाइल किए जाएं।
2. यदि स्वयं निर्धारिती द्वारा किया गया, तो "स्वयं" लिखें।

[अधिसूचना सं. 54/2023/ फा. सं. 370142/24/2023- टीपीएल]

जिवितेश आनन्द, अवर सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 519 (अ), तारीख 18.7.2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।